न्यायालय :- अपर सेशन न्यायाधीश, सिरोही (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी - ललित डाबी, रा.न्या.से. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या - 72/2022

संस्थापना तिथि - 04-08-2022

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या - 59/2022 पुलिस थाना पालडी एम

राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक

- अभियोगी

विरुद्ध

फाउड़ाराम पुत्र फुलाराम आयु 45 वर्ष निवासी अरठवाडा पुलिस थाना पालडी एम हाल नया जोयला पुलिस थाना शिवगंज, जिला सिरोही (राज.)

- अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित :-

1. श्री सुरेश कुमार वैष्णव, विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य।
2. श्री मानसिंह देवड़ा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

-: निर्णय :-

दिनांक :- 29.06.2026

1. अभियोजन मामले के सुसंगत संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 17.04.2022 को परिवादी सवाराम पुत्र भुरारामजी निवासी उथमण द्वारा पुलिस थाना पालडी एम में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि परिवादी के भाई शंकरलाल दिनांक 11.04.2022 को फाउडाराम पुत्र फुलाराम निवासी अरठवाडा के साथ उसके कुंए पर शराब पीकर शराब के शराब के नशे में बोलचाल की और मारधाड चालु हो गई, शंकरलाल के उसके शरीर पर चोट आई और उसको अस्पताल पालडी एम ले जाया गया वहां से शिवगंज तथा शिवगंज से सुमेरपुर रैफर कर दिया गया उसकी ज्यादा तबियत बिगड़ने से सुमेरपुर से मथुरादास

अस्पताल जोधपुर रैफर किया गया। दो दिन बाद उपचार के दौरान दिनांक 16.04.2022 को रात्रि करीब 10 बजे परिवादी के भाई की मृत्यु हो गई.....इत्यादि, कार्यवाही करावे।

2. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना बरलूट द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 59/2022 पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं बाद पूर्ण अनुसंधान अभियुक्त फाउडाराम के विरूद्ध धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाते हुए आरोप पत्र अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवगंज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3. आरोप पत्र प्रस्तुति के पश्चात अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवगंज द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दांडिक मूल रजिस्टर किया गया। प्रकरण में अंतर्वलित अपराध सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवगंज द्वारा उपार्पण संबंधित औपचारिकता पूर्ण कर प्रकरण श्रीमान् सेशन न्यायालय सिरोही को उपार्पित किया गया। कालांतर में यह प्रकरण जरिए अंतरण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

4. बहस आरोप उभय पक्ष की सुनी जाकर अभियुक्त को दिनांक 02.05.2023 को धारा 302 भारतीय दंड संहिता का अपराध पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोपों को सुन, समझकर अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर अभियोजन साक्ष्य प्रारम्भ की गई।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2025 INSC 1433 {Manoj Bhai Jetha Bhai Parmar (Rohit) Vs. State of Gujarat} में पारित आदेश की अनुपालना में इस प्रकरण में प्रस्तुत मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य का विवरण तालिका के रूप में निम्न प्रकार अंकित किया जा रहा है -

<u>प्रकरण में परीक्षित अभियोजन साक्षीगण -</u>

अभियोजन साक्षी क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्षी का विवरण
PW - 01	डॉ. गोपालसिंह	चिकित्सकीय साक्षी - मृतक का प्राथमिक उपचार करना बताता है।
PW - 02	सवाराम	परिवादी - मृतक का भाई – अनुश्रुत साक्षी
PW - 03	गोविंदराम	चक्षुदर्शी साक्षी
PW - 04	दिनेश कुमार	मौतबिर सूरतहाल, फर्द पंचनामा, सुपूर्दगी लाश
PW – 05	बस्सी देवी	मृतक शंकरलाल की पत्नी - अनुश्रुत साक्षी
PW – 5-I	गोपालराम	मौतबिर पंचनामा
PW - 06	चम्पालाल	मौतबिर पंचनामा व घटनास्थल निरीक्षण
PW - 07	ओमाराम	मौतबिर गिरफ्तारी फाउडाराम
PW - 08	गेमरसिंह	मौतबिर गिरफ्तारी फाउडाराम, तस्दीक मारपीट करने का स्थान

PW - 09	पकाराम	गोविंद द्वारा दो व्यक्तियों के आपस में झगड़ने के बारे में बताना कहता है।
PW - 10	प्रेमसिंह	एफएसएल जमा साक्षी
PW - 11	नारायणसिंह	स्वतंत्र साक्षी - पक्षद्रोही घोषित
PW - 12	शंकर	मौतबिर सुरतहाल, पंचनामा, लाश सुपूर्दगी
PW - 13	गोविंदलाल	मालखाना इंचार्ज
PW - 14	डॉ. मनीष	मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाला चिकित्सक- पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पुष्टि करता है।
PW - 15	नृपेन्द्र	धारा 65B साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र साक्षी
PW - 16	कुयाराम	अनुसंधान अधिकारी

प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य -

अंकित प्रदर्श	प्रलेख की प्रकृति	द्वारा साबित/प्रमाणित/सम्बन्धित
प्रदर्श पी.01	प्रथम सूचना रिपोर्ट	P.W.02
प्रदर्श पी.02	फर्द नक्शा मौका	P.W. 02
प्रदर्श पी.03	फर्द सूरतहाल लाश	P.W.02
प्रदर्श पी.04	फर्द पंचनामा लाश	P.W.02
प्रदर्श पी.05	फर्द सुपूर्दगीनामा लाश	P.W.02
प्रदर्श पी.06	पुलिस बयान गोविंदराम	P.W.03
प्रदर्श पी.07	धारा 164 द.प्र.सं. के बयान बस्सी देवी	P.W.05
प्रदर्श पी.08	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम फाउडाराम	P.W.07
प्रदर्श पी.09	फर्द मौका तस्दीक	P.W.08
प्रदर्श पी.10	थाने का अग्रेषण पत्र	P.W.10
प्रदर्श पी.11	एसपी कार्यालय से एफएसएल उदयपुर के नाम जारी अग्रेषण पत्र	P.W.10
प्रदर्श पी.12	एफएसएल उदयपुर जमा प्राप्ति रसीद	P.W.10
प्रदर्श पी.13	पुलिस बयान नारायणसिंह	P.W. 11

प्रदर्श पी.14 व 14 ए	मूल मालखाना रजि. के मद सं. 153 व एफएसएल उदयपुर भेजने का इन्द्राज	P.W. 13
प्रदर्श पी.15	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	P.W.14
प्रदर्श पी.16	एफएसएल रिपोर्ट	P.W.14
प्रदर्श पी.17	धारा 65 बी का प्रमाण पत्र	P.W.15
प्रदर्श पी.18	मौका तस्दीक बाबत अभियुक्त द्वारा प्रदत्त धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना	P.W.16
प्रदर्श पी.19	मथुरादास अस्पताल में हुए इलाज के दस्तावेज	P.W.16
प्रदर्श पी.20	धारा 164 द.प्र.सं. के बयान गोविंदराम	P.W.16
प्रदर्श पी.21	प्रथम सूचना रिपोर्ट	P.W.16

6. अभियोजन पक्ष की ओर से भौतिक साक्ष्य के रूप में टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज की पैन ड्राइव आर्टिकल 01 प्रदर्शित करवायी गयी।

7. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने स्वयं के विरूद्ध प्रस्तुत हुयी अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया एवं बचाव साक्ष्य पेश करना चाहा किंतु पश्चात्वर्ती स्तर पर किसी गवाह को परिक्षित नहीं करवाया गया।

<u>प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य -</u>

प्रदर्श क्रमांक	प्रदर्श का विवरण	द्वारा साबित/द्वारा प्रमाणित/से सम्बन्धित
D-01	पुलिस बयान सवाराम	पी.ड.02
D-02	पुलिस बयान श्रीमती बस्सीदेवी	पी.ड.05

<u>बहस अंतिम</u> -

8. बहस अंतिम विद्वान उभय पक्ष की सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गयी साक्ष्य से अभियुक्त पर आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होता है। गवाह गोविंदराम के बयानों से यह तथ्य संपुष्ट होता है कि

घटना वाली रात्रि उसने अभियुक्त व मृतक को शराब के नशे में आपस में झगड़ते देखा है एवं वहीं से मृतक को प्राथमिक इलाज हेतु एम्बुलेंस में पालड़ी एम अस्पताल ले गए हैं। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु सिर में लगी चोट के कारण हुई है। मृतक की पत्नी बस्सी देवी ने स्पष्ट कथन किया है कि घटना के पश्चात् मृतक की माता मृतक को रिक्शे में उसके खेत पर छोड़ने आयी थी तब मृतक ने उसे बताया था कि अभियुक्त ने उल्टे कुंट से उसके सिर पर वार किया है। मृतक व अभियुक्त का एकसाथ घटना वाली रात्रि बाहर जाना साबित है। मृतक के शव पर पायी गयी चोटों से भी यह साबित होता है कि मृतक के साथ मारपीट की गयी है। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य भी प्रमाणित होता है कि अभियुक्त द्वारा मृतक को उधार दिए गए पांच सौ रूपए वापस मांगे जाने को लेकर मृतक व अभियुक्त में विवाद हुआ है एवं इसी विवाद के दौरान अभियुक्त ने मृतक के सिर पर उलटे कुंट से वार किया है जिस कारण से इलाज के दौरान मृतक की मृत्यु कारित हुई है। इस प्रकार अभियुक्त पर आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित पाए जाने से अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

9. इसके विपरित अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रकरण में यह तथ्य संदेहास्पद है कि घटना कौनसी दिनांक को घटित हुई है। घटना की लिखित रिपोर्ट छह दिन के विलंब से प्रस्तुत की गयी है। लिखित रिपोर्ट में किसी हथियार से मारपीट किए जाने का आक्षेप अंकित नहीं रहा है। केवल थापों मुक्कों से मारपीट किए जाने का तथ्य अंकित है, किन्तु मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक साक्षी के अनुसार मृतक के शव पर पायी गयी चोटें थापों मुक्कों से आना संभव नहीं है। अभियोजन मामले के अनुसार घटना के पश्चात् मृतक का प्राथमिक उपचार डॉ. गोपालसिंह द्वारा किया गया है। डॉ. गोपालसिंह के कथनों के अनुसार मृतक दिनांक 11.04.2022 को उसके पास सामान्य अवस्था में इलाज हेतु आया था तब छाती में मात्र दर्द की शिकायत बतायी थी, इसके अलावा उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी तथा उसके मूंह से शराब की गंध आ रही थी। गवाह सवाराम चक्षुदर्शी साक्षी नहीं रहा है। अनुसंधान अधिकारी ने गवाह सवाराम की निशानदेही से घटनास्थल का निरीक्षण किस प्रकार किया, यह स्पष्ट नहीं है। घटना कारित किए जाने का उद्देश्य लिखित रिपोर्ट में अंकित नहीं रहा है। मारपीट कहां हुई, यह तथ्य भी स्पष्ट नहीं है। वास्तविक रूप से अभियुक्त व मृतक शराब पीने साथ में गए हैं एवं शराब के नशे में मृतक रात भर पड़ा रहा है, उसके पश्चात् किसी अन्य घटना में उसके शरीर पर चोट आई है, जिसमें अभियुक्त की किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रही है। गवाह सवाराम व बस्सीदेवी ने न्यायालय में परिक्षित होते समय कई नवीन तथ्य प्रकट किए हैं, जिनका अंकन इन गवाहों के पुलिस बयान व धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन लेखबद्ध बयानों में नहीं रहा है। गवाह गोविंदराम जो कि प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण गवाह है, घटना एक्सीडेंट से होना बताता है। गवाह बस्सीदेवी भी अनुश्रुत साक्षी रही है। यदि वास्तव में मृतक के साथ अभियुक्त द्वारा मारपीट की गयी होती तो मृतक के विभिन्न अस्पतालों में इलाज के दौरान इस बारे में चिकित्सक को जानकारी दी जाती अथवा त्वरित रूप से पुलिस को सूचित किया जाता,

किन्तु घटना की रिपोर्ट मृतक की मृत्यु पश्चात् पेश की गयी है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले गवाह डॉ. मनीष के अनुसार मृतक की मृत्यु उसके सिर पर आयी चोट के कारण हुई है, किन्तु मृतक का प्राथमिक उपचार करने वाला गवाह डॉ. गोपालसिंह मृतक के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं होना बताता है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि मृतक के सिर पर चोट दिनांक 11.04.2022 के पश्चात् किसी अन्य घटना में कारित हुई है। प्रकरण में अंतर्वलित अपराध की गंभीरता को देखते हुए जिस उच्च स्तर के अनुसंधान की अपेक्षा रही है, उस उच्च स्तर का अनुसंधान संपादित नहीं किया गया है एवं अनुसंधान के नाम पर मात्र खानापूर्ति की गयी है। टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज बाबत भी कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। उक्त सीसीटीवी फुटेज में मात्र वाहनों का आवागमन दर्शित हो रहा है। उक्त् सीसीटीवी फुटेज से मृतक की मृत्यु में अभियुक्त की संलिप्तता साबित नहीं होती है। इस प्रकार अभियुक्त पर आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाए जाने से अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त घोषित किया जावे।

10. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं -

1. 1999 (2) RCD 1038 (Raj.) {Goma Vs. State of Raj.}
2. 1996 (1) RCD 387 (Raj) {State of Rajasthan Vs. Vijay Singh}
3. 2010 (2) R.Cr.D. 303 (Raj.) {Bapu Vs. State of Rajasthan}
4. 2005 (3) R.Cr.D. 269 (Raj.) {Raju alias Rajaram Vs. State of Rajasthan}
5. 1995 (2) RCD 616 (Raj.) {Babu Lal Vs. State of Rajasthan}
6. 1996 (2) RCD 138 (Raj.) {Imrat Das Vs. State of Rajasthan}
7. 2010 (1) R.Cr.D. 58 (Raj.) {Gopal Vs. State}
8. 2003 (3) R.Cr.D. 417 (Raj.) {Charan Singh & Anr. Vs. State of Rajasthan}

11. विद्वान उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया एवं तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली व सुसंगत विधिक प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

12. हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष **अवधारणीय प्रश्न** यह है कि -

" क्या अभियुक्त फाउडाराम ने दिनांक 11.04.2022 को किसी समय मौजा अरठवाडा स्थित कुंए पर परिवादी सवाराम के भाई शंकरलाल को जान से मारने की नियत से उसके साथ शराब पीकर नशे में बोलचाल कर मारधाड़ की जिससे दौराने ईलाज दिनांक 16.04.2022 को उसकी मृत्यु कारित हुई ?”

"यदि हां, तो दंड की उचित मात्रा क्या होगी ?"

13. **प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य का प्राथमिक अवलोकन -**

1. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त पर आरोपित अपराधों को प्रमाणित करवाये जाने हेतु कुल 17 गवाहों को परीक्षित करवाया गया है, जिनमें **पी.ड.01 डॉ. गोपालसिंह** की साक्ष्य है कि *वह राजकीय चिकित्सालय शिवगंज में सर्जन के पद पर कार्यरत है। दिनांक 11.04.2022 को प्रकरण में मृतक शंकरलाल पुत्र भूराराम निवासी उथमण अपने परिजनों के साथ ईलाज हेतु उसके घर पर आया था। तब उसने आहत के कहे अनुसार जांच की थी। आहत के कोई बाहरी चोट नहीं थी। उसने आहत को साधारण दवाईया लिखकर दी थी। उस समय आहत के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, फिर आहत वहां से चला गया था।* दिनांक 13.04.2022 को राजकीय अस्पताल शिवगंज में ईलाज हेतु आहत शंकरलाल आया। उस समय उसे छाती का एक्सरे करने की राय उसने दी थी। उसके बाद एक्सरे में क्या आया, उसकी उसे जानकारी नहीं है। इस गवाह के प्रतिपरीक्षा के कथनों का उल्लेख आगामी विवेचना के पदों में सुसंगतता के अनुरूप किया जा रहा है।

2. **पी.ड.02 सवाराम** जो अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान कथन करता है कि वे तीन भाई थे। उससे छोटा शंकरलाल और सबसे छोटे भाई का नाम गोपाल है। वे सब अलग अलग रहते है। मै परिवार सहित पुराडा रोड सुमेरपुर रहता हूं। आज से साढे तीन चार साल पहले मेरा भाई शंकरलाल जैसारामजी माली के कुए पर काश्त करता था और परिवार सहित वही पर रहता था। जैसाराम माली का कुआ उथमण गांव के पास में आया हुआ है। घटना आज से करीब साढे तीन साल पहले की है। *फाउडाराम ने उसके भाई शंकरलाल के साथ में शराब के नशे में मारपीट की थी। मुल्जिम फाउडाराम ने उसके भाई शंकरलाल के दाईने कान के नीचे सिर पर उल्टी कुट से मारपीट की थी। शंकर की पत्नी बसी घटना के बाद शंकरलाल को ईलाज के लिए डॉक्टर गोपाल सिंह के हॉस्पिटल लेकर गई थी और फोन करके उसे भी वहां पर बुलाया था।* और फिर वहा से शंकरलाल को ईलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए। और वहा पर प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे महावीर हॉस्पिटल सुमेरपुर लेकर गए। और वहां पर भी ईलाज नही होने से उसे जोधपुर मथुरादास हॉस्पिटल लेकर गए। उक्त घटना स्वयं उसके भाई शंकर ने डॉक्टर गोपालसिंह के अस्पताल में ईलाज के दौरान उसकी पत्नी बसी को बताई थी और बसी ने उसे बताई थी। मथुरादास हॉस्पिटल में उसकी मौत घटना के छह दिन बाद में उसके भाई शंकरलाल की हुई थी। पहले कहा कि मौत के पांच दिन बाद रिपोर्ट दी थी, और फिर कहा तीन चार दिन पहले की घटना है इसलिए उसे आज याद नही कि कितने दिन बाद रिपोर्ट दी थी, जो रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। घटना का मौका उसने छह सात दिन बाद में दिखाया था। वागसीन टोल नाके के पास में मालियों के वेरे के पास हुई घटना का दिखाया था। मौका बताया था तब चंपालाल व नारायण मौजुद थे, मौका फर्द प्रदर्श पी 2 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मृतक

शंकरलाल की लाश का निरीक्षण उसके उपस्थिति में तथा दिनेश कुमार व शंकरलाल पुत्र नरसाजी की उपस्थिति में मोर्चरी रूम में किया था, जिसकी फर्द सूरत लाश प्रदर्श पी 3 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मृतक शंकरलाल का पंचनामा रूबरू मौतबिरान गोपाल, शंकर पुत्र नरसाजी, चंपालाल व अन्य की उपस्थिति में हुआ था। जिन्होंने लाश को देखकर कहा कि मृतक के सिर के पीछे उल्टी कुट से मारने पर उसकी मौत हुई है, जिसकी फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श पी 4 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बाद पोस्टमार्टम मृतक उसके भाई शंकरलाल का अंतिम संस्कार करने के लिए लाश उसे सौप दी गई थी, जिसकी फर्द सूपुदर्गी नामा लाश प्रदर्श पी 5 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके भाई शंकरलाल को मुल्जिम फाउडाराम ने 500 रूपये जो उसको उधार दिए थे मांगनी करने पर शराब के नशे में उसके साथ मारपीट की और उसकी मृत्यु हो गई। इन गवाहों के प्रतिपरीक्षा के कथनों का उल्लेख आगामी विवेचना के पदों में सुसंगतता के अनुरूप किया जा रहा है।

3. **पी.ड.03 गोविंदराम** जो अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान कथन करता है कि वह खेती का काम करता है और अरठवाडा में रहता है। उसका अरठ बागसिंह टोलनाके के इधर आया है। वह परिवार सहित अरठ पर ही रहता है। वह हमेशा की तहर खेत की रखवाली करने के लिये खेत पर बने कमरे के पास ही सोता है। *दिनांक 10.04.2022 की रात को वह खेत पर ही सो रहा था तब दो व्यक्ति गेट के बाहर सडक के किनारे शराब पीये सडक से गुजर रहे थे तब एक गाडी टोल प्लाजा की तरफ से सिरोही जा रही थी उस गाडी से एक आदमी को टक्कर मारते हुये गिरा दिया था। साथ में दूसरा आदमी बहुत चिल्लाया लेकिन उस वक्त सुनने वाला कोई नहीं था।* उस वक्त वह खेत पर ही था। उसके बाद में टोल प्लाजा से एंबुलेस आयी और जिसमें से पांच छह आदमी उतरे और उन्होने पुछताछ की और वह बाजू में खडा सुन रहा था। उसमें से एक आदमी ने कहा कि वे सुमेरपुर जवाई नदी में भीलों का मेला लगता है उसमें जाकर आ रहे है और उन्हें पालडी एम जाना है तब एबुलेंस वालों ने कहा कि इनको थाने में लेकर जाते है तब उसमें से एक आदमी ने कहा कि हमें थाने से कौन छुडायेगा। फिर सुबह तक वही पर पड़े रहे। उनमें से सभी आते-जाते लोगों ने सहायता मांगी लेकिन किसी ने सहायता नहीं की थी। फिर आरटीओ वालें सुबह आये कि ये लोग रात से पडे है इनको लेकर जाओं जिस पर एंबुलेस आयी और एबुलेंस उठाकर लेकर गयी। इस गवाह ने प्रदर्श पी 06 में ए से बी व ई से एफ को सही होना स्वीकार किया है।। इस गवाह के प्रतिपरीक्षा के कथनों का उल्लेख आगामी विवेचना के पदों में सुसंगतता के अनुरूप किया जा रहा है।

4. **पी.ड.04 दिनेश कुमार** के मुख्य परीक्षा के कथनों के अनुसार दिनांक 17.04.2022 को वह मोर्चरी रूम एमडीएम जोधपुर गया था तब मृतक शंकरलाल पुत्र भूराराम वागरी निवासी उथमण की लाश का फर्द सुरत लाश उसके व शंकरलाल पुत्र नरसाराम की उपस्थिति में बनायी थी, जो प्रदर्श पी 03 है जिस पर एक्स स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज वे

पंचान जिसमें वह, चंपालाल शंकरलाल पुत्र नरसाराम, सवाराम व गोपाराम आदि ने लाश को देखकर उसके मृत्यु का कारण मृतक के साथ मारपीट होना पुलिस को बताया था जिसकी फर्द प्रदर्श पी 04 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगुष्ठ निशानी है। उसी रोज बाद पोस्ट मार्टम मृतक शंकरलाल पुत्र भूराराम वागरी निवासी उथमण की लाश को उसके बडे भाई सवाराम पुत्र भुराराम को अंतिम संस्कार हेतु लाश सुपुर्द की थी जिसकी फर्द प्रदर्श पी 05 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगुष्ठ निशानी है। इन गवाहों के प्रतिपरीक्षा के कथनों का उल्लेख आगामी विवेचना के पदों में सुसंगतता के अनुरूप किया जा रहा है।

5. **पी.ड.05 बस्सीदेवी** के मुख्य परीक्षा के कथनों के अनुसार कि उसका विवाह शंकरलाल पुत्र भुरारामजी निवासी उथमण के साथ हुआ था। उसके तीन संतान है जिसमें एक पुत्र है व दो पुत्री है और दोनों बच्चिया ससुराल जाती है। उसके पति शंकरलालजी खेती-बाडी करते थे जो अलग-अलग जगह करते थे। घटना के समय वह जैसाबा माली के यहां काश्तकारी करते थे। वह जेसारामजी माली के खेत पर निवास करती थी। आज से करीब 4 साल पहले की बात है, वह और उसके पति उनके वैवाही के मेर में धान्ता गये थे। फिर धान्ता से 06:00 बजे उथमण पालडी वेरे पर आये थे जिस वेरे पर फाउडाराम रहता था और वेरा रामसिंहजी का था। *फाउडाराम ने उसकी माता पंकू से 500 रूपये उधार लेकर गये थे। उसका पति शंकरलाल व फाउडाराम 500 रूपये लेकर बाहर गये थे और फिर पूरी रात घुमें और घर नहीं आये थे। ये लोग जब गये थे तब उसे रामसिंह के वेरे पर ही बिठाकर गये थे फिर बाद में दूसरे दिन वह रामसिंहजी से 20 रूपये किराया उधार लेकर उथमण वेरे पर आयी थी। फिर बाद में उसके पति को रिक्शा में डालकर फाउडाराम की माता पंकूदेवी दोपहर को 1:30 बजे उसके वेरे पर फेंकने आयी थी। उसके पति शंकरलाल के साथ मारपीट होने से वह घायल अवस्था में था। बाद में उसके पति को घायल अवस्था में रिक्शा में बैठाकर शिवगंज सरकारी अस्पताल लेकर गये थे जहां पर उसके पति दो दिन भर्ती रहे थे, फिर वहां से वे गोपालसिंह डॉक्टर साहब के घर पर जाकर उसके पति को दिखाया था।* फिर वहां से उसके उसके पति को महावीर अस्पताल में लेकर गये थे। महावीर अस्पताल वालों ने कहा कि ज्यादा मारपीट हुई है इस कारण से इन्हें आगे रेफर करना पडेगा। फिर उसके बाद में उसके पति को जोधपुर अस्पताल महात्मा गांधी में लेकर गये थे। वहां पर उसके पति को एक दिन भर्ती रहे थे। बाद में दूसरे दिन वैशाख पूनम के दिन उनकी मृत्यु हो गयी थी। *उसके पति ने उसे बताया कि फाउडाराम उसे लेकर गया था और उसके साथ मारपीट की थी और कहा था कि फाउंडाराम ने उल्टी कुट से उसे मारा है।* फाउडाराम उसके मामाजी का लडका लगता है। रिपोर्ट उसके जेठ सवारामजी ने दी है। उसके धारा 164 सीआरपीसी के न्यायालय में बयान हुये थे जो प्रदर्श पी 07 है जिस पर एक्स स्थार पर उसकी अंगुष्ठ निशानी है। फाउडाराम ने उसके पति के साथ मारपीट कर हत्या की है। इन गवाहों के प्रतिपरीक्षा के कथनों का उल्लेख आगामी विवेचना के पदों में सुसंगतता के अनुरूप किया जा रहा है।

6. **पी.ड.5-I गोपालराम** के मुख्य परीक्षा के कथनों के अनुसार शंकरलाल उसका बडा भाई था जिसके साथ शराब के नशे में मारपीट हुई थी, जिसके कारण शंकरलाल की मृत्यु हो गयी थी। शंकरलाल की लाश का पंचनामा पुलिस वालो ने उसके सामने मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर में किया था। पंचनामा किया तब वह, चंपालाल, राकेश, शंकरलाल पुत्र नरसा जी, दिनेश मौजूद थे। वे पंचान ने मृतक शंकरलाल की मृत्यु होने का कारण शराब के नशे में उसके साथ मारपीट होना बताया था जिसकी फर्द प्रदर्श पी 04 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। इन गवाहों के प्रतिपरीक्षा के कथनों का उल्लेख आगामी विवेचना के पदों में सुसंगतता के अनुरूप किया जा रहा है।

7. **पी.ड.06 चम्पालाल** के मुख्य परीक्षा के कथनों के अनुसार आज से करीब 4 साल पूर्व मृतक शंकरलाल की लाश का पंचनामा उसकी उपस्थिति में जोधपुर में मथुरादास अस्पताल में मोर्चरी रूम में हुआ था। उसके अलावा सवाराम, दिनेश कुमार, गोपाल व अन्य उपस्थित थे। वे पंचान से एक राय मांगी तो उन्होंने कहा कि मृतक की मृत्यु उसकी हत्या करने के कारण हुई है। फर्द पंचनामा प्रदर्श पी 04 है जिस पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। पंचनामा होने के 3 दिन बाद करीब 1 बजे के आसपास पालडी एम से टोल प्लाजा के बीच में प्रकाश माली के खेत के पास मौका देखा था। मौका देखा तब उसके अलावा नारायणलाल भी मौजूद था। घटना का मौका सवाराम ने उसके भाई शंकरलाल की हत्या का बताया था। मौका फर्द प्रदर्श पी 02 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है जो उसने मौके पर ही किये थे। इस गवाह के प्रतिपरीक्षा के कथनों का उल्लेख आगामी विवेचना के पदों में सुसंगतता के अनुरूप किया जा रहा है।

8. **पी.ड.07 ओमाराम** के मुख्य परीक्षा के कथनों के अनुसार वह दिनांक 21.04.2022 को पुलिस थाना पालडी एम में कानि. के पद पर कार्यरत था उस रोज सीआर न. 59/22 पीएस पालडी एम में मुल्जिम फाउडाराम पुत्र फुलाजी वागरी निवासी अरठवाडा को उसके तथा कानि गेमरसिंह की उपस्थिति में जरिये फर्द थानाधिकारी कुइयाराम जी ने थाने पर गिरफ्तार किया था जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 08 है जिस पर ए से बी उसके तथा सी से डी कानि गेमरसिंह के हस्ताक्षर है जिसके हस्ताक्षर उसके साथी कर्मचारी होने से वह जानता एवं पहचानता है। मुल्जिम की गिरफ्तारी की सूचना उसके पुत्र भरत कुमार को उसके मोबाइल पर दी थी जिसका उल्लेख प्रदर्श पी 08 में है। इस गवाह के प्रतिपरीक्षा के कथनों का उल्लेख आगामी विवेचना के पदों में सुसंगतता के अनुरूप किया जा रहा है।

9. **पी.ड.08 गेमरसिंह** के मुख्य परीक्षा के कथनों के अनुसार वह दिनांक 21.04.2022 को पुलिस थाना पालडी एम में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस रोज सीआर न. 59/2022 पीएस पालडी एम में अभियुक्त फाउडाराम पुत्र फूलाजी निवासी अरठवाडा को उसके तथा कानि ओमाराम की उपस्थिति में पु.था. पालडी एम पर जरिये फर्द अनुसंधान अधिकारी कुइयाराम जी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के पुत्र भरतराम को

मोबाइल से दी थी। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 08 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। जैर हिरासत अभियुक्त फाउडाराम द्वारा दी गयी इतिला पर मय जाब्ता सरहद बागसीन पहुंचे, जहां पर अभियुक्त ने आगे आगे चलकर जिस जगह पर मृतक शंकरलाल के साथ मारपीट की थी उस स्थान का मौका उसके तथा शिशपाल सिंह कानि की उपस्थिति में तस्दीक करवाया जिसकी मौका तस्दीक फर्द प्रदर्श पी 09 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इस गवाह के प्रतिपरीक्षा के कथनों का उल्लेख आगामी विवेचना के पदों में सुसंगतता के अनुरूप किया जा रहा है।

10. **पी.ड.09 पकाराम** के मुख्य परीक्षा के कथनों के अनुसार वे तीन भाई है सबसे बडा वह, उसके बाद महेन्द्र व सबसे छोटा हंसाराम है। आज से करीब 4-5 साल पहले वह नारायण सिंह पुत्र जोगसिंह के वहां ट्रेक्टर चलाने का काम करता था। ट्रेक्टर लेकर वह दूसरी जगह भी काम पर जाता था। वह आज से करीब 4-5 साल पहले सुबह 9 बजे के आसपास गोविन्द माली के खेत पर गेंहु निकालने के लिये थ्रेसर लेकर गया था। *गोविन्द माली ने बताया था कि दो जने रात में गेट पर आए थे जो आपस में झगड रहे थे। उनके बारे में उसने गोविन्द से नही पूछा।* इस गवाह के प्रतिपरीक्षा के कथनों का उल्लेख आगामी विवेचना के पदों में सुसंगतता के अनुरूप किया जा रहा है।

11. **पी.ड.10 प्रेमसिंह** के मुख्य परीक्षा के कथनों के अनुसार वह दिनांक 11.05.2022 को पुलिस थाना पालडी एम में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस रोज सीआर न. 59/22 पीएस पालडी एम में जब्तशुदा सीलबंद प्रादर्श मार्क 1 से 5 तक एफएसएल परीक्षण हेतु उदयपुर में जमा करवाने हेतु हैड कानि मालखाना इंचार्ज गोविन्दलाल ने मय कागजात सुपुर्द किये जिस पर मैं उपरोक्त सीलबंद पेकेट पांच मय कागजात लेकर एसपी कार्यालय सिरोही पहुंचा जहां से उसने एफएसएल उदयपुर के नाम से अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर उपरोक्त सीलबंद पेकेट व कागजात लेकर उदयपुर एफएसएल पहुंचा जहां दिनांक 12.05.2022 को जमा प्राप्ति रसीद प्राप्त की जो थाने पहुंचकर हैड कानि गोविन्द लाल को सुपुर्द की। उपरोक्त सभी पेकेट उसने सीलबंद अवस्था में प्राप्त किये थे जब तक उसके पास रहे सीलबंद अवस्था में ही रहे और उसी हालात में उसने जमा करवाये। थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 10 है एसपी कार्यालय से एफएसएल उदयपुर के नाम से जारी अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 11 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। जमा प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 12 है। इस गवाह के प्रतिपरीक्षा के कथनों का उल्लेख आगामी विवेचना के पदों में सुसंगतता के अनुरूप किया जा रहा है।

12. **पी.ड.11 नारायणसिंह पक्षद्रोही घोषित हुआ है एवं अभियोजन मामले की लैशमात्र भी पुष्टि नहीं की है।**

13. **पी.ड.12 शंकर** के मुख्य परीक्षा के कथनों के अनुसार वह शिवगंज में सब्जी बेचने का काम करता है। मृतक शंकरलाल उसके जीजा जी लगते थे। आज से करीब 4 साल पहले इसी अप्रैल माह की बात थी। वह जोधपुर में एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी में मृतक शंकरलाल

पुत्र भूराजी की लाश को मोर्चरी में दिखाया था। मृतक शंकरलाल के शरीर पर सिर पर एवं कान एवं शरीर पर चोटों के निशान थे जिसकी फर्द प्रदर्श पी 03 है लाश का मुंह खुला था और आंखे बंद थी जिस पर वाई स्थान पर उसकी अंगुष्ठ निशानी है। फिर पंचनामा हेतु वे पांच जनों को मृतक शंकरलाल की लाश दिखाई थी जिसमें वह, चंपालाल, राकेश, गोपाल, दिनेश मौजूद थे। वे पंचान ने लाश देखकर मृतक की बॉडी पर आई चोटो के निशान देखकर बताया था कि मृतक शंकरलाल की मृत्यु उसके साथ मारपीट करने से हुई है। फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श पी 04 है जिस पर वाई स्थान पर उसकी अंगुष्ठ निशानी है। मृतक शंकरलाल की लाश बाद पोस्टमार्टम उन्हें अंतिम कियाकर्म हेतु सुपुर्द की थी जिसकी फर्द प्रदर्श पी 05 है जिस पर वाई स्थान पर उसकी अंगुष्ठ निशानी है। इस गवाह के प्रतिपरीक्षा के कथनों का उल्लेख आगामी विवेचना के पदों में सुसंगतता के अनुरूप किया जा रहा है।

14. **पी.ड. 13 गोविंदलाल** के मुख्य परीक्षा के कथनों के अनुसार ह दिनांक 17.04.2022 को पुलिस थाना पालडी एम में हैड कानि. के पद पर तैनात था, उस रोज थाने के मालखाने का प्रभारी वह था। थाना के प्रकरण सं. 59/2022 धारा 302 में आईओ थानाधिकारी कुईयाराम द्वारा दिनांक 01.05.2022 को सील्ड पैकेट्स प्रादर्श 01, 02, 03, 04 व 05 उसे मालखाना में जमा करने एवं एफएसएल भेजने हेतु दिये थे। उसने थाने के मालखाना रजिस्टर के मद सं. 153 पर इन्द्राज किया था। दिनांक 11.05.2022 को कानि. प्रेमसिंह न. 466 को जरिये अग्रेषण पत्र के मार्फत एसपी सिराही के एफएसएल उदयपुर में जमा करवाने हेतु दिये थे। कानि. प्रेमसिंह द्वारा एसपी सिरोही के कमांक 14036-37 दिनांक 11.05.2022 के एफएसएल उदयपुर जमा करवाकर प्राप्ति रसीद सं. 3036 दिनांक 12.05.2022 लाकर उसे दिनांक 13.05.2022 लाकर दी जो उसने इन्द्राज कर संबधित आईओ को सुपुर्द की थी। मूल मालखाना रजिस्टर के मद सं. 153 पर प्रदर्श पी 14 डाला गया जिसमें ए से बी में सीलबंद प्रादर्श जमा करने का इन्द्राज है एवं सी से डी उसके हस्ताक्षर है एवं ई से एफ एफएसएल उदयपुर भेजने का इन्द्राज है जिसकी प्रति प्रदर्श 14 ए है। एफएसएल जमा कराने की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 12 है । इस गवाह के प्रतिपरीक्षा के कथनों का उल्लेख आगामी विवेचना के पदों में सुसंगतता के अनुरूप किया जा रहा है।

15. **पी.ड.14 डॉ. मनीष** के मुख्य परीक्षा के कथनों के अनुसार वह दिनांक 17.04.2022 को मथुरादास अस्पताल जोधपुर में मेडिकल ज्यूरिस्ट के पद पर कार्यरत था। जहां पर पु.था. पालडी एम की तहरीर पर बोर्ड गठित कर शंकरलाल पुत्र भूराराम बागरी निवासी उथमण पालडी एम सिरोही का पोस्टमार्टम शाम 4.20 बजे से 6.15 पीएम के बीच मेरी अध्यक्षता में बोर्ड द्वारा किया गया जिसमें डॉ. खीमराज, डॉ. थानाराम पटेल बोर्ड के सदस्य थे। मृतक की पहचान सवाराम पुत्र भूराराम जो मृतक का भाई था तथा सब इंस्पेक्टर कुईयाराम पालडी एम द्वारा की गयी थी। मृतक शंकरलाल के शरीर पर राइगर मोर्टिस पूरे शरीर पर मौजूद थी तथा पीठ, गर्दन एवं डिपेंडड पार्ट पर पोस्टमार्टम स्टेंनिग थी। मृतक के शरीर पर 8 चोटे थी

जो निम्नानुसार थी:- चोट सं.01 गहरे भूरे लाल रंग का खरूट जिसका आकार 0.3 सेमी. गुणा 0.2 सेमी जो कि बाएं घुटने पर था। चोट सं.02 गहरे भूरे लाल रंग का खरूट जिसका आकार 11 सेमी. गुणा 2 सेमी मृतक के बाएं कंधे पर था। चोट सं.03 एक काले हरे रंग का नीलगू जिसका आकार 10 सेमी. गुणा 15 सेमी जो कि दाएं कान के पीछे वाले हिस्से पर था। चोट सं.04 मृतक के सिर की चमडी हटाने पर दाएं तरफ मिड पेराइटल रीजन में एमएटोमा था। चोट सं.05 मृतक की खोपडी खोलने पर दाएं ऑक्सिपिटल रीजन में 5 सीसी एक्सट्रा डयूरल खून का थक्का जमा था। चोट सं.06 मृतक के दोनो फंटरल रीजन में 20 सीसी सब डयूरल खून का थक्का जमा था। चोट सं.07 मृतक के दाएं टेम्पोरर्ल बोर्न और ऑकसिपिटल बोर्न में फेक्चर था। चोट सं.08 मृतक के बाएं तरफ की तीन नम्बर की पसली टूटी हुई थी। उपरोक्त सभी चोटे मृत्यु कारित थी। मृतक का शव परीक्षण करने पर उसके अंग कंजस्टेड थे तथा पेट की थेली खाली थी। मृतक के निम्नानुसार विसरा प्रिजर्व कर पुलिस को सुपुर्द किये थे, केमिकल एनालिशिस 1. एक सील जार जिसमें मृतक का पेट तथा छोटी आंत का टुकडा मय उनके कंटेंट नमक पानी में प्रिजर्व किये गये। 2. एक सील जार जिसमें मृतक के दोनो फेफडो, दोनो कीडनी, लिवर, स्पिलिन, ब्रेन का एक पीस नमक पानी में प्रिजर्व किये गये। 3. एक सील कांच की शिशि में मृतक के खून का सैंपल 4. एक कांच की शिशि में नमक पानी का कंट्रोल सैंपल। *उपरोक्त परीक्षण के बाद बोर्ड की राय थी कि मृतक शंकरलाल पुत्र भूराराम की मृत्यु हैड इंजरी की वजह से हुई थी तथा विसरा रिपोर्ट प्राप्त होने पर अंतिम राय देना जाहिर किया गया।* इसके उपरांत श्रीमान थानाधिकारी पालडी एम सिरोही के पत्र कं. 2158 दिनांक 17.07.2022 के साथ संलग्न एफएसएल रिपोर्ट कं. आरएफएसएल / यूडीए/3096/ टोक्सी / एक्जाम/398/22 दिनांक 17. 06.2022 के परीक्षण उपरांत मृतक शंकरलाल पुत्र भूराराम की मृत्यु बाबत अंतिम राय जाहिर की गयी जो कि हैड इंजरी की वजह से थी। *एफएसएल रिपोर्ट नेगेटिव थी जो प्रदर्श पी 16 है।* पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 15 में बोर्ड की राय जी से एच में अंकित है तथा ए से बी उसके तथा सी से डी डॉ थानाराम तथा इ से एफ डॉ खीमराज के हस्ताक्षर है। इस गवाह के प्रतिपरीक्षा के कथनों का उल्लेख आगामी विवेचना के पदों में सुसंगतता के अनुरूप किया जा रहा है।

16. **पी.ड.15 नृपेन्द्र** के मुख्य परीक्षा के कथनों के अनुसार वह 2020 से 2024 तक पालडी एम उथमण टोल प्लाजा में रूट मैंनेजर के पद पर कार्यरत था। प्रकरण सं. 59 दिनांक 17.04.2022 पालडी एम प्रकरण में टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज अनुसंधान अधिकारी द्वारा मांगने पर दिये थे। जिस सीसीटीवी फुटेज वीडियो रिकॉडिंग की सीडी आर्टिकल 01 है और उसके द्वार धारा 65 बी का प्रमाणपत्र दिया गया था जो प्रदर्श पी 17 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इस गवाह के प्रतिपरीक्षा के कथनों का उल्लेख आगामी विवेचना के पदों में सुसंगतता के अनुरूप किया जा रहा है।

17. **पी.ड.16 कुयाराम** के मुख्य परीक्षा के कथनों के अनुसार वह दिनांक 17.04.2022 को पुलिस थाना पालडी एम में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस रोज सवाराम पुत्र भूराराम जाति वागरी निवासी उथमण द्वारा एक टाइपशुदा रिपोर्ट उसके समक्ष पेश की गयी थी। उक्त रिपोर्ट पर उसके द्वारा पृष्ठांकन कर मुकदमा दर्ज किया था। रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी रिपोर्टकर्ता के हस्ताक्षर है तथा एम से एन उसके द्वारा रिपोर्ट पर किया गया पृष्ठांकन है तथा ओ से पी कार्यवाही पुलिस है। उक्त प्रकरण धारा 302 भा.द.सं. में दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू किया गया। दौराने अनुसंधान मृतक शंकरलाल की फर्द सूरतहाल लाश फर्द पंचनामा मुर्तिब किये जाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया था जिसमें बोर्ड द्वारा एफएसएल हेतु प्रादर्श लिये गये थे। पोस्टमार्टम किया जाकर लाश परिजनो को सुपुर्द की गयी। मृतक शंकरलाल का फर्द सूरतहाल लाश प्रदर्श पी 03 है एवं लाश सुपुर्दगी प्रदर्श पी 05 है जिन पर एक्स वाई स्थान पर मोतबिरान की अंगुष्ठ निशानी है तथा ए से बी परिवादी सवाराम के हस्ताक्षर है तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है। एवं पंचनामा प्रदर्श पी 04 है जिस पर एक्स वाई स्थान पर मोतबिरान की अंगुष्ठ निशानी है तथा ए से बी एवं सी से डी एवं इ से एफ मोतबिरान के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

18. आगे इस गवाह का कथन रहा है कि मृतक शंकरलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी.15 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। परिवादी की निशानदेही से दिनांक 20.04.2022 को घटनास्थल का निरीक्षण किया। गवाहों के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किए। अभियुक्त को जरिए फर्द प्रदर्श पी.08 गिरफ्तार किया। अभियुक्त द्वारा प्रदत्त की गयी स्वेच्छिक सूचना के आधार पर मारपीट वाले स्थान का मौका तस्दीक किया गया। दौराने अनुसंधान अभियुक्त व मृतक के घटना से पूर्व के टोल प्लाजा बागसीन से आवागमन की फुटेज टोल प्लाजा से प्राप्त की जिसकी सीडी आर्टिकल 01 है। धारा 65B साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी.17 टोल प्लाजा कर्मचारी नृपेन्द्र कुमार से प्राप्त किया। घटनास्थल के फोटोग्राफ्स शामिल पत्रावली किए। मृतक के विसराज को मालखाने में जमा करवाया। मृतक के इलाज बाबत दस्तावेजात मथूरादास माथूर अस्पताल से प्राप्त कर शामिल पत्रावली किए। परिवादी द्वारा डॉक्टर के घर पर एवं शिवगंज अस्पताल में कराए इलाज की पर्चियां पेश करने पर शामिल पत्रावली की। मृतक के विसरा एफएसएल हेतु जरिए अग्रेषण पत्र भिजवाए गए। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी.16 है। गोविंदराम व बस्सीदेवी के धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के कथन शामिल पत्रावली किए। चाक एफआईआर प्रदर्श पी.21 है। बाद पूर्ण अनुसंधान अभियुक्त फाउड़ाराम के विरूद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपपत्र पेश किया गया। इस गवाह के प्रतिपरीक्षा के कथनों का उल्लेख आगामी विवेचना के पदों में सुसंगतता के अनुरूप किया जा रहा है।

14. <u>प्रस्तुत साक्ष्य का तुलनात्मक अवलोकन व विवेचन -</u>

1. प्रकरण में अवधारणीय प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत साक्ष्य का तुलनात्मक अवलोकन व विवेचन करें तो अभियोजन मामले के अनुसार अभियुक्त व मृतक शराब पीने के लिए दिनांक 10.04.2022 को शाम को घर से निकले एवं शराब पीने के पश्चात् उथमण टोल प्लाजा बागसीन पर दोनों के मध्य विवाद होने पर अभियुक्त ने मृतक के साथ मारपीट की एवं उलटे कूंट से मृतक के सिर पर वार किया जिससे उसके चोट आयी तथा दौराने इलाज दिनांक 16.04.2022 को मथुरादास माथुर चिकित्सालय जोधपुर में मृतक शंकरलाल की मृत्यु हो गयी। अभियोजन मामले के अनुसार उक्त घटना पी.ड.03 गोविंदराम द्वारा देखी गयी है जिसका खेत बागसीन टोल प्लाजा के पास स्थित है। ऐसी दशा में प्रकरण में उक्त गवाह पी.ड.03 गोविंदराम एक महत्वपूर्ण गवाह रहा है। अब इस सम्बन्ध में पी.ड.03 गोविंदराम के बयानों का अवलोकन करें तो यह गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है एवं यद्यपि इस गवाह ने दिनांक 10.04.2022 की रात्रि में दो व्यक्तियों के शराब पीए हुए टोल प्लाजा के पास गुजरते हुए देखा जाना बताता है, किन्तु साथ ही साथ इस गवाह का यह भी कथन रहा है कि उस समय एक गाड़ी ने उन दोनों में से एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी। इस प्रकार यह गवाह अपने बयानों में कहीं पर भी यह कथन नहीं करता है कि उन दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने दुसरे व्यक्ति के साथ मारपीट अथवा लड़ाई झगड़ा किया हो। बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में भी इस गवाह का कथन रहा है कि उसने अभियुक्त को मृतक के साथ मारपीट करते नहीं देखा एवं ना ही मौके पर कोई मारपीट हुई थी। अब इस गवाह के धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन लेखबद्ध बयान प्रदर्श पी.20 का अवलोकन करें तो उक्त बयानों में भी इस गवाह ने उन दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने उसे बताया था कि दुसरे व्यक्ति को गाड़ी ने टक्कर मार दी। उक्त बयान प्रदर्श पी.20 में भी इस गवाह ने उन दोनों व्यक्तियों के मध्य मारपीट अथवा लड़ाई-झगड़े बाबत कोई कथन नहीं किए हैं। इस प्रकार इस गवाह के बयानों से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि वक्त घटना मौके पर अभियुक्त ने मृतक के साथ कोई लड़ाई-झगड़ा व मारपीट की हो जिससे मृतक के शरीर पर चोटें आयी हों, इसके विपरित यह गवाह मौके पर गाड़ी से एक्सीडेंट होना बताता है।

2. जहां तक परिवादी पी.ड.02 सवाराम व पी.ड.05 बस्सीदेवी के बयानों का प्रश्न है तो उक्त दोनों गवाह मृतक के क्रमशः भाई व पत्नी हैं। इन दोनों ही गवाहों के बयानों से भी स्पष्ट है कि ये गवाह घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं रहे हैं। पी.ड.02 सवाराम के बयानों के अनुसार मृतक शंकरलाल का डॉक्टर गोपालसिंह के पास इलाज करवाते समय मृतक ने अपनी पत्नी बस्सी देवी को बताया था कि अभियुक्त ने उसके साथ उलटी कूंट से मारपीट की। पी.ड.05 बस्सीदेवी भी अपने बयानों में यही कथन करती है। अब इस सम्बन्ध में पी.ड.01 डॉ. गोपालसिंह के बयानों का अवलोकन करें तो इस गवाह के कथनों के अनुसार दिनांक 11.04.2022 को जब मृतक को उपचार हेतु उसके घर लेकर आए तब उसके शरीर पर कोई

बाहरी चोट नहीं थी एवं उसने उसे साधारण दवाइयां लिखकर दी थी। इस गवाह का यह भी कथन रहा है कि उस समय मृतक ने उसे मारपीट के बारे में नहीं बताया था। इस प्रकार पी.ड.01 डॉ. गोपालसिंह पी.ड.02 सवाराम व पी.ड.05 बस्सीदेवी के उक्त कथन की पुष्टि नहीं करता है कि मृतक ने उसके वहां इलाज हेतु आने पर मारपीट के बारे में बताया हो।

3. अब इस सम्बन्ध में मृतक की पत्नी पी.ड.05 बस्सीदेवी के बयानों का अवलोकन करें तो प्रतिपरीक्षा के दौरान इस गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मृतक का जहां-जहां अस्पताल में इलाज करवाया, वहां पर किसी को यह नहीं बताया कि अभियुक्त ने मृतक के साथ मारपीट की है। जहां तक मृतक द्वारा इस गवाह को मारपीट के बारे में बताए जाने बाबत तथ्य का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में इस गवाह का प्रतिपरीक्षा के दौरान कथन रहा है कि जब वह मृतक को अस्पताल लेकर गयी तब मृतक थोड़ा होश में था लेकिन बोल नहीं रहा था। मृतक के नहीं बोलने से तीन दिन शिवंगज अस्पताल में भर्ती रहा था फिर भी नहीं बोलने पर उसे महावीर अस्पताल लेकर गए और आगे नहीं बोलने पर उसे पाली और वहां से जोधपुर लेकर गए। इस प्रकार स्वयं पी.ड.05 बस्सीदेवी के बयानों के अनुसार मृतक को जहां जहां इलाज हेतु लेकर गए, तब वह बोलने की स्थिति में नहीं था, ऐसी दशा में मृतक द्वारा उसे घटना के बारे में जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। साथ ही साथ यदि मृतक ने दिनांक 11.04.2022 को ही अपनी पत्नी पी.ड.05 बस्सीदेवी को घटना के बारे में बता दिया था तो फिर स्वयं बस्सीदेवी ने अथवा परिवादी पी.ड.02 सवाराम ने त्वरित रूप से इस बारे में किसी डॉक्टर को अथवा पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, इसका भी कोई स्पष्टीकरण इन गवाहों के बयानों से प्रकट नहीं होता है।

4. मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले गवाह पी.ड.14 डॉ. मनीष के बयानों के अनुसार मृतक की मृत्यु उसके सिर में आयी चोट के कारण हुई थी। अभियोजन मामले के अनुसार अभियुक्त ने मृतक के सिर पर उलटी कूंट से वार कर उपहति कारित की है, किन्तु स्वीकृत रूप से दौराने अनुसंधान ऐसी कोई कूंट बरामद नहीं की गयी है। यहां तक कि लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 में भी कूंट से मारपीट किए जाने बाबत कोई अंकन नहीं रहा है। अनुसंधान अधिकारी पी.ड.16 कुयाराम के कथनों के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट में थापों मुक्कों से मारपीट करना बताया गया है, किन्तु पी.ड.14 डॉ. मनीष के बयानों के अनुसार मृतक के शरीर पर पायी गयी चोट संख्या 05 से 08 थापों मुक्कों से आना संभव नहीं है एवं उक्त चोटें वाहन दुर्घटना में आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

5. प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.ड.16 कुयाराम के बयानों के अनुसार घटना दिनांक 11.04.2022 की थी जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 17.04.2022 को पेश की गयी थी जिस विलंब का कोई कारण परिवादी ने नहीं बताया था। अनुसंधान अधिकारी का प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी कथन रहा है कि मृतक का इलाज डॉ. गोपालसिंह ने किया था एवं डॉ. गोपालसिंह ने अपने बयान में बताया था कि दिनांक 11.04.2022 को मृतक उसके

पास प्राथमिक उपचार के लिए आया था तब उसके अन्य कोई बाहरी चोट नहीं थी एवं ना ही फेफड़े में अंदरूनी चोट थी। डॉ. गोपालसिंह ने उसे यह भी बताया था कि मृतक सामान्य अवस्था में गया था। जबकि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर पर चोट संख्या 01 से 03 बाहरी चोटें रही हैं एवं मृतक के बांये तरफ की तीन नम्बर की पसली टूटी हुयी पायी गयी है। अनुसंधान अधिकारी पी.ड.16 कुयाराम ने इस तथ्य के सम्बन्ध में भी अनभिज्ञता जाहिर की है कि डॉ. गोपालसिंह के देखने के बाद मृतक घायल हुआ हो। अनुसंधान अधिकारी ने इस तथ्य की भी पुष्टि की है कि मृतक का जहां जहां उपचार करवाया गया, वहां पर मारपीट के बारे में ना तो किसी चिकित्सक को सूचित किया गया एवं ना ही पुलिस को सूचित किया गया। इस प्रकार पी.ड.01 डॉ. गोपालसिंह, पी.ड.14 डॉ. मनीष एवं पी.ड.16 कुयाराम के बयानों को देखते हुए इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के शरीर पर जो चोटें पायी गयी हैं, वे चोटें दिनांक 11.04.2022 को मृतक का डॉ. गोपालसिंह से प्राथमिक उपचार करवाए जाने के पश्चात् कारित हुयी हों।

6. जहां तक आर्टीकल 01 सीडी का प्रश्न है तो उक्त सीडी के सम्बन्ध में स्वयं अनुसंधान अधिकारी पी.ड.16 कुयाराम का प्रतिपरीक्षा के दौरान कथन रहा है कि घटनास्थल टोल प्लाजा सीसीटीवी फुटेज में नहीं आता है, आवागमन आता है जो मृतक व अभियुक्त घटना से पूर्व सीसीटीवी फुटेज में दर्शित होते हैं। इस प्रकार टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज की सीडी आर्टिकल 01 से भी अभियुक्त की दोषिता साबित नहीं होती है एवं उक्त सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ज्यादा से ज्यादा यह माना जा सकता है कि अभियुक्त व मृतक को साथ में उक्त टोल प्लाजा पर देखा गया है, किन्तु मात्र इस आधार पर यह तथ्य स्वतः प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने मृतक के साथ मारपीट कर उसे उपहतियां कारित की हों। उल्लेखनीय है कि प्रकरण का एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी पी.ड.03 गोविंदराम मौके पर किसी गाड़ी से एक्सीडेंट होना बताता है।

7. पी.ड.03 गोविंदराम का यह भी कथन रहा है कि टोल प्लाजा से उस व्यक्ति को अगले दिन एम्बुलेंस में पालड़ी अस्पताल लेकर गए थे, किन्तु आश्चर्यजनक रूप से अनुसंधान अधिकारी ने ना तो टोल प्लाजा के एम्बुलेंस चालक से कोई पूछताछ की है एवं ना ही टोल प्लाजा के कर्मचारीगण से कोई पुछताछ करने का प्रयास किया है। अनुसंधान अधिकारी ने पालड़ी एम चिकित्सालय में भी किसी चिकित्सक से इस सम्बन्ध में अनुसंधान नहीं किया है कि जब मृतक को एम्बुलेंस में उपचार हेतु चिकित्सालय लेकर आए तो उसकी स्थिति क्या थी।

8. मृतक की पत्नी पी.ड.05 बस्सीदेवी के बयानों के अनुसार घटना के पश्चात् मृतक को अभियुक्त की माता पंकुदेवी रिक्शे में उसके खेत पर छोड़ने आयी थी, किन्तु अनुसंधान अधिकारी ने उक्त रिक्शा चालक से भी किसी प्रकार का कोई अनुसंधान नहीं किया है। जबकि वह रिक्शाचालक इस स्थिति को स्पष्ट कर सकता था कि जब मृतक को उसके खेत

पर छोड़ा तब उसकी शारीरिक स्थिति कैसी थी। न्यायालय के मत में प्रकरण में अंतर्वलित अपराध की गंभीरता को देखते हुए जिस स्तर का अनुसंधान अपेक्षित रहा है, उस स्तर का अनुसंधान संपादित नहीं किया गया है।

9. प्रकरण में मृतक की पत्नी पी.ड.05 बस्सीदेवी का आचारण भी अस्वाभाविक प्रतीत होता है। पी.ड.05 बस्सीदेवी के प्रतिपरीक्षा के कथनों के अनुसार जब अभियुक्त की माता मृतक को रिक्शे में उसके खेत पर छोड़ने आयी तब उसने अभियुक्त की माता से इस बारे में कोई पुछताछ नहीं की कि मृतक को क्या हुआ है। न्यायालय के मत में यदि मृतक को उसके खेत पर छोड़े जाते समय वह घायलावस्था में था, तो निश्चित रूप से मृतक की पत्नी से यह अपेक्षित रहा है कि वह इस सम्बन्ध में अभियुक्त की माता से पुछताछ करती कि मृतक किस कारण से घायल हुआ है। पी.ड.05 बस्सीदेवी का मृतक को उपचार हेतु विभिन्न अस्पताल ले जाने के उपरांत भी किसी चिकित्सक को अथवा पुलिस को मारपीट के बारे में सूचित ना करना भी इस गवाह के आचरण को अस्वाभाविक बनाता है।

10. इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन मामले का सबसे तात्विक गवाह पी.ड.03 गोविंदराम के बयानों से प्रकरण में अभियुक्त की संलिप्तता साबित नहीं होती है। इस गवाह के कथनों को माना जावे तो मृतक की मृत्यु वाहन दुर्घटना में हुई है जिसमें अभियुक्त की किसी प्रकार की कोई भुमिका नहीं रही है। इस गवाह के अलावा प्रकरण में अन्य कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं रहा है। मृतक का भाई परिवादी सवाराम व पत्नी बस्सीदेवी अनुश्रुत साक्षी रहे हैं। इन दोनों ही गवाहों का आचरण अस्वाभाविक रहा है। मृतक की पत्नी ने त्वरित रूप से घटना की सूचना ना तो किसी चिकित्सक को दी है एवं ना ही घटना के बारे में पुलिस को ही सूचित किया है। मृतक के प्राथमिक उपचार एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर पायी गयी चोटों में विरोधाभास प्रकट होता है। घटना का उद्देश्य साबित किए जाने में भी अभियोजन पक्ष असफल रहा है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपार्ट में अभियुक्त द्वारा मृतक की हत्या कारित किए जाने के उद्देश्य के सम्बन्ध में कोई अंकन नहीं रहा है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट करीब छह दिन के विलंब से प्रस्तुत की गयी है, जिस विलंब का कोई स्पष्टीकरण परिवादी अथवा मृतक की पत्नी द्वारा अपने बयानों में प्रकट नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष प्रकरण में अंतर्वलित अपराध में अभियुक्त की दोषिता बाबत परिस्थितियों की श्रंखलाबद्ध अखंडनीय कड़ियों का पूर्ण रूप से अभाव रहा है।

15. **निष्कर्ष -**

1. इस प्रकार उपरोक्त समग्र विवेचनोपरांत यह न्यायालय इस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अपराध को सन्देह से परे प्रमाणित करवाये जाने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। ऐसी दशा में अभियुक्त फाउड़ाराम आरोपित अपराध धारा 302 भारतीय दंड संहिता में दोषमुक्ति का अधिकारी है।

- आदेश -

16. **अतः अभियुक्त फाउड़ाराम पुत्र फुलाराम आयु 45 वर्ष निवासी अरठवाडा पुलिस थाना पालडी एम हाल नया जोयला पुलिस थाना शिवगंज, जिला सिरोही (राज.) को आरोपित अपराध धारा 302 भारतीय दंड संहिता में संदेह का लाभ प्रदत्त कर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।**

17. **अभियुक्त के इस न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।**

18. **प्रकरण में जब्तशुदा मालखाना सामग्री अपील की समयावधि समाप्ति के पश्चात् नियमानुसार नष्ट की जावे अथवा अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्यधीन नियमानुसार निस्तारित की जावे।**

19. **प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की पत्नी बस्सीदेवी को प्रतिकर प्रदत्त किए जाने की अनुशंषा की जाती है। समुचित प्रतिकर का निर्धारण सम्बन्धित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। इस हेतु इस निर्णय की एक सत्य प्रति श्रीमान् जिला विधिक सेवा प्राधिकार सिरोही को प्रेषित की जावे।**

(ललित डाबी)
अपर सेशन न्यायाधीश, सिरोही

20. निर्णयादेश आज दिनांक 29.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(ललित डाबी)
अपर सेशन न्यायाधीश, सिरोही

CHET RAM MEENA
"Authenticated Document"Digital Signed by Chetram, Steno GrIII
Date: 2026.06.30 10:34:04 +0530